



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 पौष 1935 (श0)  
(सं0 पटना 37) पटना, शुक्रवार, 3 जनवरी 2014

---

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

3 जनवरी 2014

सं० एल0जी0-1-26/2013/लेज: 02—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 दिसम्बर 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
उज्जवल कुमार दुबे,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

## बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013

## (बिहार अधिनियम 1, 2014)

बिहार राज्य विधान मंडल के सदनों के समक्ष नियमों तथा अन्य प्रत्यायोजित विधानों को रखने हेतु उपबंध करने के लिए कतिपय अधिनियमों का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ** ।- (1) यह अधिनियम बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. **कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन** ।- इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद् द्वारा उसके तृतीय स्तंभ में उल्लिखित हद तक और रीति से संशोधित की जाती हैं।

अनुसूची  
(धारा 2 देखें)

क्र० संक्षिप्त नाम संशोधन

1. बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 (बिहार और उड़ीसा अधिनियम 6, 1935)—उक्त अधिनियम, 1935 की धारा-66 की उप-धारा(4) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(5) जोड़ी जायगी :-

“(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

2. बिहार होमगार्ड अधिनियम, 1947 (बिहार अधिनियम 19, 1947)—उक्त अधिनियम, 1947 की धारा-13 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

3. बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950)—उक्त अधिनियम की धारा-6 को धारा-6 की उप-धारा(1) के रूप में पुन संख्याकित की जायगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

4. बिहार गोशाला अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 28, 1950)—उक्त अधिनियम, 1950 की धारा-18 की उप-धारा(3) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(4) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण

अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

5. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952)**—उक्त अधिनियम, 1952 की धारा-16 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

6. **बिहार होमियोपैथी पद्धति एवं मेडिसीन विकास अधिनियम, 1953 (बिहार अधिनियम 24, 1953)**—उक्त अधिनियम, 1953 की धारा-53 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

7. **बिहार सरकारी परिसर (किराया वसूली एवं बेदखली) अधिनियम, 1956 (बिहार अधिनियम 20, 1956)**—उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-14 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

8. **बिहार राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976)**—उक्त अधिनियम, 1976 की धारा-40 की उप-धारा(3) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(4) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम

का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**9. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976)**—उक्त अधिनियम, 1976 की धारा-40 की उप-धारा(3) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(4) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**10. बिहार देशी चिकित्सा शिक्षा (विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम, 1982) (बिहार अधिनियम 20, 1982)**—उक्त अधिनियम, 1982 की धारा-16 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-16 के उप-नियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**11. बिहार राज्य अभियंत्रण एवं फार्मसी शैक्षणिक संस्था (विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1982 (बिहार अधिनियम 63, 1982)**—उक्त अधिनियम, 1982 की धारा-16 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-16 के उपनियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**12. बिहार कृषि विश्व- विद्यालय अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988)**—उक्त अधिनियम, 1987 की धारा-36 की उप-धारा(3) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(4) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस परिनियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि परिनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, परिनियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई

उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस परिनियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

उक्त अधिनियम, 1987 की धारा-37 की उप-धारा(3) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(4) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस विनियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, विनियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस विनियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**13. नालंदा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (बिहार अधिनियम 11, 1995)**—उक्त अधिनियम, 1995 की धारा-33 की उप-धारा(3) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(4) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस परिनियम, अध्यादेश, विनियम या नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**14. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 (बिहार अधिनियम 15, 1995)**—उक्त अधिनियम, 1995 की धारा-18 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-18 के उप-नियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी:-

“(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**15. बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997)**—उक्त अधिनियम, 1996 की धारा-51 की उप-धारा(3) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(4) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव

केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**16. बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998)**—उक्त अधिनियम, 1997 की धारा-115 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**17. बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002)**—उक्त अधिनियम, 2002 की धारा-12 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**18. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 15, 2006)**—उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-15 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-15 के उप-नियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**19. बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007)**—उक्त अधिनियम, 2007 की धारा-55 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-55 के उप-नियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण

अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**20. बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 14, 2007)**—उक्त अधिनियम, 2007 की धारा-21 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-18 के उप-नियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी:-

“(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**21. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008)**—उक्त अधिनियम, 2007 की धारा-19 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**22. बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 17, 2010)**—उक्त अधिनियम, 2010 की धारा-9 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-9 के उप-धारा(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**23. बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 (बिहार अधिनियम 19, 2010)**—उक्त अधिनियम, 2010 की धारा-36 की उप-धारा(3) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा (4) जोड़ी जायगी:-

“(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि परिनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्,



यथास्थिति, परिनियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस परिनियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

24. **बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 18, 2011)**—उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-9 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-9 के उप-धारा(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

25. **बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947 (बिहार अधिनियम 4, 1948)**—उक्त अधिनियम, 1947 की धारा-20 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी:-

“(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

26. **बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (बिहार अधिनियम 22, 1954)**—उक्त अधिनियम, 1954 की धारा-25 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

27. **बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 30, 1950)**—उक्त अधिनियम, 1950 की धारा-43 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना

चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**28. बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 20, 2008)**—उक्त अधिनियम, 2008 की धारा-26 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-26 के उप-नियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम एवं विनियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम एवं विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम एवं विनियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**29. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 4, 2010)**—उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-17 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**30. बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 9, 2009)**—उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-21 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-21 के उप-नियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**31. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010)**—उक्त अधिनियम, 2010 की धारा-15 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-15 के उप-नियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के

लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**32. बिहार विशेष सर्वे एवं बंदोबस्ती अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011)**—उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**33. बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 (बिहार अधिनियम 23, 1956)**—उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-33 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**34. बिहार शोध सोसाइटी (अधिग्रहण) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 6,2008)**—उक्त अधिनियम, 2007 की धारा-8 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-8 के उप-नियम(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**35. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार, उड़ीसा अधिनियम-II 1915)**—उक्त अधिनियम, 1915 की धारा-89 की उप-धारा(3) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(4) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर



(2) उक्त अधिनियम, 1982 की धारा-52 उपविधि बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को धारा-52 के उप-धारा(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी प्रत्येक उपविधि बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस उपविधि में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि उपविधि नहीं बनायी जानी चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, उपविधि का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस उपविधि के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**40. बिहार मकान (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 (बिहार अधिनियम 4, 1983)**—उक्त अधिनियम, 1983 की धारा-33 की उप-धारा(2) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा(3) जोड़ी जायगी :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

**41. बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 28, 2006)**—उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-31 नियम बनाने की शक्ति के अधीन विद्यमान प्रावधान को उप-धारा(1) के रूप में संख्याकित किया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा(2) जोड़ी जायगी :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिये रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

उज्जवल कुमार दुबे,

सरकार के संयुक्त सचिव।

3 जनवरी 2014

सं० एल०जी०-1-26/2013/ लेज: 03 ।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2013 को अनुमत **बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित

अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उज्जवल कुमार दुबे,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

## **The Bihar Delegated Legislation Provisions Act, 2013**

**[Bihar Act 1, 2014]**

**AN**

**ACT**

To amend certain Acts to provide for laying of rules and other delegated legislations, before the Houses of the State Legislature.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows :-

- 1. Short title, extent and commencement.** - (1) This Act may be called the Bihar Delegated Legislation Provisions Act, 2013.
  - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
  - (3) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of certain enactments.** - The enactments specified in the schedule of this Act are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in the third column thereof.

**THE SCHEDULE**  
(See Section 2)

**Sl.No. Short title Amendment**

**1. Bihar Co-operative Society Act 1935 (Bihar & Orissa Act 6, 1935)** —The following new sub-section (5) shall be added after sub section(4) of section 66 of the said act 1935 .-

"(5) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

**2. Bihar Home Guard Act, 1947 (Bihar Act 20, 1947)** —The following new sub-section (3) shall be added after sub section(2) of section 13 of the said Act 1947 .-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

**3. The Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19, 1950)** —The existing provision under section 6 of the said Act, 1950 shall be numbered as sub-section (1) and thereafter the following sub-section (2) shall be added :-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**4. The Bihar Goshala Act, 1950 (Bihar Act 28, 1950)** —The following new sub-section (4) shall be added after sub- section(3) of section 18 of the said Act, 1950:-

"(4) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**5. The Bihar School Examination Board Act, 1952 (Bihar Act 7, 1952)** —The following new sub section (3) shall be added after sub- section(2) of section 16 of the said Act, 1952 :-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be;

so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**6. The Bihar Development of Homeopathic System of Medicine Act, 1953 (Bihar Act 24, 1953)** —The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of section 53 of the said Act, 1953 :-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**7. The Bihar Government Premises (Rent Recovery & Eviction) Act, 1956 (Bihar Act 20, 1956)** —The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of section section 14 of the said Act, 1956 :-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

**8. The Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976)** —The following new sub-section (4) shall be added after sub- section(3) of section 40 of the said Act, 1976:-

"(4) Every Statue, Ordinance, Regulation or Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Statute, Ordinance, regulation or rule or both Houses agree that the Statue, Ordinance, Regulation or rule should not be made, the Statute, Ordinance, regulation or rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statue, Ordinance, Regulation or rule".

**9. The Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24, 1976)** —The following new sub-section (4) shall be added after sub- section(3) of section 40 of the said Act, 1976:-

"(4) Every Statue, Ordinance, Regulation or Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Statute, Ordinance, regulation or rule or both Houses agree that the Statue, Ordinance, Regulation or rule should not be made, the Statute, Ordinance, regulation or rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statue, Ordinance, Regulation or rule".

**10. Bihar Indig. Medi. Edu. Ins. (Reg. & Control) Act, 1982 (Bihar Act 20, 1982)** —The existing provision under Section 16 of said Act, 1982 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period



of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

**11. Bihar State Engineering & Pharmacy Educational Institution (Regulation and Control) Act, 1982 (Bihar Act 63, 1982)** —The existing provision under Section 16 of said Act, 1982 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**12. Bihar Agricultural University Act, 1987 (Bihar Act 8, 1988)** — (1) The following new the section (4) shall be added after sub-section(3) of section 36 of the said Act, 1987:-

"(4) Every Statute made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Statute or both Houses agree that the Statute should not be made, the Statute shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute".

(2) The following new sub-section (5) shall be added after sub-section(4) of section 37 of the said Act, 1987:-

"(5) Every Regulation made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the regulation or both Houses agree that the regulation should not be made, the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation".

**13. The Nalanda Open University Act, 1995 (Bihar Act 11, 1995)** —The following new sub-section (4) shall be added after sub- section(3) of section 33 of the said Act, 1995:-

"(4) Every Statue, Ordinance, Regulation or Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Statue, Ordinance, Regulation or rule or both Houses agree that the Statue, Ordinance, regulation or rule should not be made the statute, Ordinance, regulation or rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statue, Ordinance, Regulation or rule".

**14. The Bihar Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995 (Bihar Act 15, 1995)** —The existing provision under Section 18 of said Act, 1995 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect, as the case may be; so, however, that an such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**15. Bihar Self Supporting Co-operative Society Act, 1996 (Bihar Act 2, 1997)** —The following new sub-section (4) shall be added after sub- section(3) of section 51 of the said Act, 1997:-

"(4) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each Houses of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**16. The Bihar Irrigation Act, 1997 (Bihar Act 11, 1998)** —The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of section 115 of the said Act, 1997 :-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House, of the State Legislature, while it is In session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**17. The Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act 7, 2002)**—The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of section 12 of the said Act, 2002:-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the rule".

**18. The Bihar Fish Jalkar Management Act, 2006 (Bihar Act 15, 2006)**—The existing provision under Section 15 of said Act, 2006 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**19. Bihar Police Act, 2007 (Bihar Act 7, 2007)** —The existing provision under Section 55 of the said Act, 2007 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

**20. The Bihar Clinical Establishments (Control and Regulation) Act, 2007 (Bihar Act 14, 2007)** —The existing provision under Section 21 of said Act, 2007 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

**21. Bihar Secretariat Service, Act, 2007 (Bihar Act 3, 2008)**—The following new sub-section (3) shall be added after sub-section(2) of section 19 of the said Act, 2007:-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the rule".

**22. The Bihar Coaching Institute (Control & Regulation) Act, 2010 (Bihar Act 17, 2010)** —The existing provision under Section 9 of said Act, 2010 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**23. Bihar Agricultural University Act, 2010 (Bihar Act 19, 2010)** — (1) The following new sub-section (4) shall be added after sub-section(3) of section 36 of the said Act, 2010 :-

"(4) Every Statute made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Statute or both Houses agree that the Statute should not be made, the Statute shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute".

(2) The following new sub-section (5) shall be added after sub-section(4) of section 37 of the said Act, 2010 :-

"(5) Every Regulation made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the regulation or both Houses agree that the regulation should not be made, the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation".

**24. Bihar Medical Service Institution and Person Protection Act, 2011 (Bihar Act 18, 2011)**—The existing provision under Section 9 of said Act, 2011 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".

**25. The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 (Bihar Act 4, 1948)** — The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of section 20 of the said Act, 1947:-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the rule".

**26. The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954 (Bihar Act 22, 1954)** —The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of section 25 of the said Act, 1954:-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the rule".

**27. The Bihar Land Reforms Act, 1950 (Bihar Act 30, 1950)** —The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of section 43 of the said Act, 1950:-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the rule".

**28. The Bihar State Mela Authority Act, 2008 (Bihar Act 20, 2008)**—The existing provision under Section 26 of said Act, 2008 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule and Regulation made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule and regulation or both Houses agree that the rule should not be made, the rule and regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".

**29. The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009 (Bihar Act 4, 2010)**—The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of section 17 of the said Act, 2009:-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the rule".

**30. The Bihar Land Tribunal Act, 2009 (Bihar Act 9, 2009)**—The existing provision under Section 21 of said Act, 2009 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".

**31. The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010)** —The existing provision under Section 15 of said Act, 1982 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".

**32. The Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (Bihar Act 24, 2011)**—The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of section 28 of the said Act, 2011:-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no

effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the rule".

**33. Bihar Khadi & Village Industries Act, 1956 (Bihar Act 23, 1956)** —The following new sub-section (3) shall be added after sub- section(2) of the section 33 of the said 1956:-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the rule".

**34. Bihar Research Society (Taking Over) Act, 2007 (Bihar Act 6, 2008)** —The existing provision under section 8 of said Act, 2007 shall be numbered as sub-section(1) and thereafter the following new sub-section(2) shall be added:-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".

**35. Bihar Excise Act, 1915 (Bihar & Orissa Act no.-II of 1915)** —The following new sub-section (4) shall be added after sub- section(3) of section 89 of the said Act, 1915 :-

"(4) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".

**36. Bihar Molasses Act, 1947 (Bihar Act, 6, 1947)** —The following new sub-section (3) shall be added after sub- section (2) in section 13, of the said Act, 1947 :-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".

**37. The Bihar Entertainments Tax Act, 1948 (Bihar Act, 25, 1948)** —The following new sub-section (5) shall be added after sub- section (4) of section 21, of the said Act 25 of 1948 :-

"(5) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without

prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".

**38. The Bihar Electricity duty Act, 1948 (Bihar Act, 36, 1948)**—The following new sub-section (4) shall be added after sub- section (3) of section 10, of the said Act 36 of 1948 :-

"(4) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule ".be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule

**39 Bihar Water Board Act, 1982 (Bihar Act 56, 1982)**—The following new sub-section (4) shall be added after sub- section (3) of section 51 of the said Act 56 of 1982 :-

"4. Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

(2) The existing provision under section 52 power to make to Byelaws of the said Act, 1982 shall be numbered as section(1) and the following sub section(2) shall be added :-

"4. Every Byelaws made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Byelaws or both Houses agree that the Byelaws should not be made, the Byelaws shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Byelaws."

**40. Bihar Building (Lease, Rent and Eviction) control Act, 1982 (Bihar Act,4, 1983)**—The following new sub-section (3) shall be added after sub-section (2) of section 33 of the said Act 4 of 1983 :-

"(3) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule".

**41. The Bihar Apartment Ownership Act, 2006 (Bihar Act 28, 2006)**—The existing provision under section 31 of the said Act 28 of 2006 shall be numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1), the following new sub-section (2) shall be added, namely :-

"(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if , before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the

rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule"

By order of the Governor of Bihar,  
UJJAWAL KUMAR DUBEY,  
*Joint Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 37-571+400-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**